न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या–01/2019 निर्णय दिनांक –10.06.2020

श्रीमति जरीना बेगम पत्नी शौकत खॉ जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा राज0

– प्रार्थी

//बनाम//

1. श्रीमति कावेरी बाई पत्नि किशनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्रीमति राधा पत्नि राजेश जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी जावदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. सुरेश पिता पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. शिवलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
5. जयराज पिता पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जावदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा उंचा पटवार हल्का जावदा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 23 की आराजी नं0 389/34 रकबा 1.60 हैक्टेयर, आराजी नं0 33 रकबा 0.01 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा उंचा पटवार हल्का जावदा तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 23 की आराजी नं0 389/34 रकबा 1.60 हैक्टेयर, आराजी नं0 33 रकबा 0.01 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Sharma

Date: 2020.07.04 00:22:03 IST

Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official